रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240294 CG-DL-E-15112022-240294

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5043] No. 5043] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसुचना

नई दिल्ली. 3 नवम्बर. 2022

का.आ. 5262(अ).— केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि "मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना" के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : चिकया , जिला: पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र(असाधारण) में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन

7527 GI/2022 (1)

ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना -801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा .

अनुसूची

अंचल : चिकया	जिला : पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार			
	सर्वे / ब्लॉक/		क्षेत्रफल			
मौज़ा/ग्राम	सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव-सं	हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
चिकया	805		00	04	50	
थाना नं. – 136	755		00	04	00	
बारा गोबिंद थाना - 135	879		00	06	00	

[फा. सं. आर-11025(11)/3/ 2020-ओआर-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5262(E).— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal: Chakia District: East Champaran in the State of Bihar for "Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project" for the transportation of LPG;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna- 801503 (Bihar.)

SCHEDULE

Anchal : Chakia	District : East Champ	State : Bihar				
Mouza/Village	Survey/Block	Sub-Div-No.	Area			
	No.		Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
Chakia – Thana no 136	805		00	04	50	
	755		00	04	00	
Bara Gobind Thana no 135	879		00	06	00	

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.